न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 253/2019
GCMS NO. : 2019/00220

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. कालू खां पुत्र रसूल खां 2. बाबू खां पुत्र रसूल खां जातियान तेली निवासीगण उचियारडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर।		1. धन्नाराम पुत्र नारायणराम 2. बालूराम पुत्र नारायणराम जातियान सिरवी निवासीगण बीच बडी नाडी चारगेट पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली। 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02, सपठित धारा 151 सी०पी०सी०

तारीख रजूः 04/12/2019

उपस्थितः. 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री प्रद्युमन श्रीमाली, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 28/07/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **एवं आदेश 39 नियम** 01 व 02, सपठित धारा 151 सी०पी०सी के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान की कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा पाटवा तहसील जैतारण जिला पाली में खसरा नम्बर 31/25 रकबा 07 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 31/09 रकबा 09 बीघा कुल 16 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की जमाबदी की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। उपरोक्त कृषि भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिस पर सायलान का बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त शांतिपूर्वक तरीके से उनके पिता–प्रपिता के समय से चला आ रहा है। सायलान उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर हर वर्ष बाजरा, ज्वार, गेंहू की फसल बोते है उपरोक्त कृषि भूमि पर सायलान शांतिपूर्वक तरीके से काश्त करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 31/25 व खसरा नम्बर 31/09 की कृषि भूमि के पास गैरसायलान की कृषि भूमि स्थित है। गैरसायलान कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 31/25 रकबा 07 विघा की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से दिनांक 20.11.2019 को कृषि भूमि पर आये तथा सायलान को धमकी दी कि "उपरोक्त कृषि भूमि पर हम कब्जा करेगें" तथा इस पर खन्दक खुदाकर तारबंदी करेगें, तब सायलान ने गैरसायलान को अपने कब्जे काश्त की कृषि कब्जा करने से रोक दिया तथा सायलान ने अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि से बाहर निकाल दिया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

गैरसायलान नाराज होकर चले गये तथा धमकी देकर गये कि खसरा नम्बर 31/25 रकबा 07 बीघा सायलान की कृषि भूमि पर हर सुरत में कब्जा करेगें। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी व हक अधिकार की कृषि भूमि है। जिस पर सायलान लगातार शांतिपूर्वक रूप से काबिज है एवं सायलान बिना किसी रोकटोक के काश्त करते है। सायलान के कब्जा काश्त की कृषि भूमि पर गैरसायलान को कब्जा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। यदि गैरसायलान के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर जबरन कानून के विपरित जाकर कब्जा करते है या कब्जा करने का प्रयास करते है तो सायलान किसी भी रूप में गैरसायलान को कब्जा करने नहीं देगें, जिससे मौके पर विवाद होगा तथा सायलान एवं गैरसायलान के बीच विभिन्न प्रकार की मुकदमें बाजी होगी। सायलान उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं इनका कब्जा काश्त होने से सायलान का बहुत ही मजबूत व प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है। गैरसायलान को सायलान के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर अतिक्रमण करने व कब्जा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना कानूनन अतिआवश्यक है सायलान के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के सायलान एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा सायलान को उपरोक्त कृषि भूमि पर काश्त करने तथा काश्त से सम्बन्धित कार्य रोकने का गैरसायलान को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है गैरसायलान द्वारा की जाने वाली दखलंदाजी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना कानूनन आवश्यक है। यदि गैरसायलान दौराने दावा सायलान के कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर किसी प्रकार से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते है या दखलंदाजी करते है तो सायलान अपने कब्जे काश्त व हक हिस्से की कृषि भूमि को वापस प्राप्त करने के अधिकारी है। सायलान की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि पर गैरसायलान द्वारा अतिक्रमण के जरिये कोई कच्चा पक्का निमार्ण करते है या तारबंदी, मेडबंदी की जाती है तो सायलान उन्हें तुड़वाकर वापस व अतिक्रमण हटाने व कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है उपरोक्त कृषि भूमि पर सायलान का लगातार कब्जा काश्त है जिस पर गैरसायलान को दखलंदाजी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात तथा मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। गैरसायलान बिना किसी हक व अधिकार के यदि सायलान की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। गैरसायलान को सायलान के हक हुकूक की आराजी व उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी, बाधा व रोकटोक से रोकने के लिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी पर सायलान काबिज होकर काश्त करे या करावे एवं काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे व उपयोग उपभोग करे तो उसमें गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:57 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण कर कच्चा या पक्का निमार्ण कार्य नहीं करे एवं न ही सायलान के हक हिस्से की आराजी में गैरसायलान स्वयं व उनके नौकर चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार व परिवार के सदस्य, कारीगर मजदूर आदि रोकटोक, व बाधा, अड़चन, दखलंदाजी, व रूकावट उत्पन्न नहीं करे, ऐसा करने से गैरसायलान व अन्य को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण के लिए रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलन की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा०मि० है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित आराजी सायल की है जिसकी जानकारी गैरसायलान् को नहीं है क्योकि उक्त आराजी अलग खसरान् भूमि है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो मे वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है क्योकि गैरसायलान् की कृषि भूमि अलग आयी हुई है। जो कि गैरसायलान् की खरीद सुदा कृषि भूमि है वक्त खरीद से गैरसायलान् काबिज काश्त है व गैरसायलान् के भूमि तारबंदी की हुई है खंदक लगी हुई है व वक्त खरीद से उसमे कुआ खुदा हुआ है सायल का इस जमीन से कोई लेना देना नही है व न ही गैरसायलान् सायल के खसरान् भूमि मे कभी दखलन्दाजी की, समस्त कथन सरासर गलत व अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 मे वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है क्योकि सायल की भूमि अलग है व गैरसायलान् की खसरान् भूमि अलग है। गैरसायलान् के भूमि के चारो तरफ खन्दक लगाकर तारबंदी की हुई है व काबिज काश्त है सायल का गैरसायलान् की भूमि से कोई लेना देना नही है गलत आधारो पर प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो काबिल खारिज के है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार का जबाब है कि जबाव प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा मौके पर उतरदाता गैरसायलान् का अपनी खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की अपेक्षा गैरसायलान् के पक्ष मे प्रमाणित है यदि सायल द्वारा प्रस्तुत गलत व झुठे तथ्यो पर आधारित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र पर किसी प्रकार से उतरदाता गैरसायलान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णिय क्षति भी सायल की अपेक्षा गैरसायलान को होना सुनिश्चित है एवं गैरसायलान् अपने साम्पतिक हक व अधिकारो से हमेशा के लिये महरूह हो जायेगे। सायल ने गलत तथ्यो पर आधारित प्रार्थनापत्र पेश किया है सायल का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है व किसी प्रकार से सायल अस्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ का अधिकारी नही है क्योकि गैरसायलान् की स्वयं की खरीदशुदा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा पाटवा मे आई हुई है। जो खसरा नम्बर 31/1, 32, 33, 34, 54, 54/1 रकबा 49 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 46 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है जिस पर गैरसायलान् काबिज काश्त है जिनके चारो तरफ तारबंदी कर खंदक हुई है व वक्त खरीद के गैरसायलान् का कब्जा काश्त है व कुआ खुदा हुआ है व गैरसायलान् मय परिवार काबिज काश्त है केवल मात्र सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पडौसी होने से ताकत के बल पर गैरसायलान् की जमीन पर कब्जा करना चाहता है व लडाई झगडा कर गैरसायलान् को परेशान कर रहा है जबकि उनका खसरा भी अलग है व राजस्व रिकार्ड में भी अलग दर्ज है सायल का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के है । अतः जबाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थनापत्र मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाया जावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** प्रार्थी के वाद पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। मूल प्रकरण के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि की सीमा का स्पष्ट अंकन हो। प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि खातेदारी भूमि की सीमा आपस में लगती हुई है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कथनों का खंडन करते हुए यह कथन किया है कि गैरसायलान की भूमि अलग आई हुई है एवं गैर-सायलान ने सायल के खसरान भूमि में कभी दखलन्दाजी नहीं की। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः-** चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई विश्वसनीय तथ्य एवं दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह साबित हो कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों के उपभोग में बाधा कारित होगी। अतः यह बिन्दु भी साबित नहीं होता है।
3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुए है, साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होनें की आशंका है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने से अस्वीकार किया जाना विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:39:57 IST
Reason: SelfAttested